अध्याय XV

पुस्तकालय या अध्ययन कक्ष के कार्य घंटों, यदि जन उपयोग के लिए अनुरक्षित है, सहित सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा

1. इरकॉन की अपनी वेबसाइट है यथा www.ircon.org. इच्छुक व्यक्ति वांछित सूचना के लिए इस वेबसाइट को देख सकते हैं। यदि अपेक्षित सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो, इस सूचना के लिए नागरिक info@ircon.org पर ई-मेल भेज सकते हैं या लिख सकते हैं। यदि अपेक्षित सूचना उपलब्ध है तो उसे उपलब्ध कराया जा सकता है और इसे युक्तिसंगत समय के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।

2. भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह सीपीआईओ/पीआईओ/एपीआईओ को संबोधित लिखित अनुरोध कर सकता है। जनसाधारण की सुविधा के लिए, "आरटीआई" उपशीर्ष के अंतर्गत इरकॉन की वेबसाइट पर आरटीआई आवेदन के प्रारूप को अधिसूचित किया गया है। आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए, आवेदक को 10 रूपए का आवेदन शुल्क देना आपेक्षित है। शुल्क के भुगतान का माध्यम: उचित रसीद के तहत रोकड़ द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/भारतीय पोस्टल आर्डर हो सकता है। गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) श्रेणी के व्यक्तियों को किसी शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वह अपने दावे के पक्ष में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे। जहां यह निर्णय लिया जाता है कि सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी भावी शुल्क के भुगतान पर सूचना उपलब्ध कराई जानी है वहां आवेदक को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अतिरिक्त शुल्क की मात्रा की सूचना देनी होगी।

i)	प्रत्येक पृष्ठ के लिए (ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर)	··	प्रति पृष्ठ 2 रूपए
ii)	इससे बड़े आकार के कागज पर प्रति	··	वास्तविक प्रभार या लागू मूल्य
iii)	नमूने या मॉडलों हेतु	··	वास्तविक लागत या मूल्य
iv)	रिकार्डों के निरीक्षण हेतु	··	प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और तत्पश्चात प्रति घंटे (या उसके भाग) के लिए 5 रूपए का शुल्क
v)	डिस्क या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने हेतु	···	प्रति डैस्केट या फ्लॉपी 50 रूपए।

vi) मुद्रित रूप में उपलब्ध सूचना हेतु ·· ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या प्रकाशन से सार की फोटोप्रति के लिए प्रति पृष्ठ 2 रूपए।

ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का माध्यम आवेदन शुल्क के समान होगा।

अपील - यदि आवेदन को इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (3) के खंड (क) के उप-खड (1) के विनिर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता है या वह सीपीआईओ/पीआईओ के निर्णय से असंतुष्ट है, जैसा भी मामला हो, तो ऐसे निर्णय के प्राप्त होने की ऐसी अवधि के समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर, अपनी शिकायत के निपटान के लिए अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

3. जनसाधारण के लिए पुस्तकालय सुविधा

वर्तमान में, इरकॉन में जनसाधारण के लिए कोई पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध नहीं है।

____